

1070/2021
 रिपोर्ट पदवाही हस्ता/आई0एल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार श्रीमान राम गोडरी के नाम को 175
 2075-78
 श्रीशराम पुन मूलराम के 1/6 कर्ष राहवन के दर्ज के नया निराम्य नाकरी
 श्रीशराम पुन मूलराम के 1/6 कर्ष राहवन के दर्ज के निचे सुद्ध किया जाना
 प्रस्तावित है।
 कालिय तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

भूल ही उपखण्ड अधिकारी प्रहोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तितानुसार आवेदक का नाम सुद्धत किया जायु उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम सुद्धत किये जाने की जातिना की जाती है / नहीं की जाती है।

21/2/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी

न्यायलप उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंमुनु (पंज.)

- आदेश -

दिनांक :- 2/11/21

प्रार्थी के "खाता सुद्धती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0आ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0आ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावे के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गोडरी	2075-78	175	श्रीशरामपुन मूलराम जाति मेघनाथ	श्रीशराम पुन मूलराम जाति मेघनाथ

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि संकत भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 2/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 792-93

प्रतिलिपि :- 1. तहसीलदार (भू0आ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को वास्तो पालनार्थ।

2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

